



राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर

(Email ID def.gan.forest@rajasthan.gov.in

Phone & Fax No. 0154-2472339)

क्रमांक :- एफ( )सर्वे/उवस/2019-20/715

दिनांक :- 20/2/23

सेवा में,

अधिकाधी अभियंता (टी एण्ड सी),  
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड,  
हनुमानगढ़, राजस्थान।

विषय :- Diversion of 1.3407 ha fo forest land for CONSTRUCTION OF 220 KV S/C SURATGARH- PADAMPUR TRANSMISSION LINE, in Favour of Rajasthan Rajya Vidut Prasaran Nigam Ltd Hanumangarh, District - Sri Ganganagar , Rajasthan.

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर पत्रांक 8B2/RAJ000/2023-JPR दिनांक 27.01.2023

**PROPOSAL NO. FP/RJ/TRANS/300191/2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगत सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत धारा 2 के तहत स्वीकृति मांगी गई थी।

अतः आप से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करावें।

1. प्रकरण में वन अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है परन्तु 10 वर्षों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में उल्लंघन के फलस्वरूप आपके खिलाफ कार्यवाही न की जाने के कारणों को स्पष्ट करने का कष्ट करें।

उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों सहित अपलोड करावें ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय

एस. के. आबुसरिया, IFS  
उप वन संरक्षक  
श्रीगंगानगर